

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 नवम्बर 2017—कार्तिक 19, शक 1939

भाग ४

विषय-सूची

- | | | | |
|-----|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) | (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) | (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) | (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2017

क्र. एफ. 13-2-1986-सात-4बी.—भारत के संविधान अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त तृतीय श्रेणी असंजमत्रित (कार्यपालिका एवं तकनीकी) सेवा

भारतीय नियम, 2012 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, जो 1 अक्टूबर 2017 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में—

1. अनुसूची-एक में अनुक्रमांक 8 के सामने कॉलम (3) में, अंक "11622" के स्थान पर, अंक "19020" स्थापित किया जाए,
2. अनुसूची-तीन में अनुक्रमांक 10 के सामने कॉलम (6) में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि स्थापित की जाए, अर्थात्—

“किसी मध्यम प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील दुबे, उपसचिव,

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2017

क्र. एफ-13-2-1986-सात-4 बी.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 13-2-1986-सात-4 बी, दिनांक 9 नवम्बर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील दुबे, उपसचिव,

Bhopal, the 9th November 2017

No. F-13-2-1986-VII-4B.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Band Records and Settlements Class-III (Executive and Technical) Service Recruitment Rules, 2012 which shall be deemed to have come into force from 1st October 2017 namely:—

AMENDMENTS

1. In the said rules,—

1. in Schedule-I, against serial number 8, in column (3), for the figure “11622”, the figure “19020” shall be substituted;
2. in Schedule-III, against serial number 10, in column (6), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

“Graduation Degree from any recognized University”

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SUNIL DUBEY, Dy. Secy.